न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः— दिव्यराज सिंह चुण्डावत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
125/2009 वादपत्र	11.06.2009	13-01-25

उनवान

1. मथुरालाल पिता भीमा जी जाट निवासी हलेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा
2. अम्बालाल पिता भीमा जी जाट निवासी हलेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा

—— वादीगण

बनाम

1. नारायण मुतबन्ना हजारी जाट उम्र वयस्क निवासी हलेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा मृतक के कायम मुकाम :—
   1/1— श्रीमती जड़ाई पत्नी नारायण जाट निवासी हलेड़ भीलवाड़ा
   1/2— रामलाल पिता नारायण जाट निवासी हलेड़ भीलवाड़ा
   1/3— गीता पुत्री नारायण जाट निवासी हलेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा
   1/4— लाड़ पुत्री नारायण जाट निवासी हलेड़, तहसील व जिला भीलवाड़ा
2. उपपंजीयक, भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा
4. इकबाल खान पठान पिता मोहम्मद खान पठान उम्र वयस्क निवासी तेजाजी का चौक भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा

—— प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88—89, 188—92(क) आरटीए में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0

उपस्थित :—

1—अधिवक्ता वादीगण श्री भैरूलाल बापना उपस्थित।

2—अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01/1 से लगायत 1/4 की और से शम्भुदास वैष्णव उपस्थित।

3—प्रतिवादी संख्या 03 की और से पैराकार सरकार उपस्थित।

4—अधिवक्ता प्रति0 संख्या 04 की और से श्री श्यामलाल गुर्जर उपस्थित।

—:: निर्णय ::—

प्रतिवादी संख्या 04 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 का प्रस्तुत कर अंकित किया है कि वादी ने अपने वादपत्र के पैरा संख्या 3(क) में अंकित किया कि नारायण ने इकबाल के पक्ष में विक्रय पत्र दिनांकित 11/11/2010 को निष्पादित किया गया, विक्रय पत्र दिनांक 11.11.2010 को अवैध, बेअसर व शून्य घोषित कराने की दाद चाही है। वादी ने अपने वादपत्र के पैरा संख्या 11(क क) में भी दिनांकित 11.11.2010 को निष्पादित विक्रय पत्र निरस्त, शून्य एवं अवैध घोषित कराने की दाद चाही है।

विक्रयपत्र निरस्तीकरण के लिये वाद की सुनवाई की क्षैत्राधिकारिता एवं श्रवणाधिकारिता केवल मात्र सिविल न्यायालय को ही है, इस कारण उक्त वादपत्र न्यायालय आप के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का नहीं होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है। चूंकि राजस्व न्यायालय के क्षैत्राधिकार का नहीं है एवं निरस्तीकरण, शुन्य, अवैध घोषित कराने का अधिकार केवल सिविल न्यायालय को होने से उक्त वादपत्र खारिज होने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र प्रतिवादी संख्या 04 स्वीकार करवाया जाकर उक्त वादपत्र न्यायालय आप के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का नहीं होने से खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

प्रतिवादी संख्या 04 की और से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र का वादीगण की और से जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया है कि प्रतिवादी संख्या 04 की और से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र सरासर असत्य एवं आधारहीन होने से सव्यय निरस्तनीय है। उक्त वाद दिनांक 08.06.2009 से आज पर्यन्त चल आ रहा है अर्थात् यह वाद अभी तक निर्णित नहीं हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा दौराने कार्यवाही वाद न्यायालय का स्थगन आदेश होते हुये भी वादग्रस्त आराजी नम्बर 2328 रकबा 08 बीघा 01 बिस्वा का विकय दिनांक 11.11.2010 को प्रतिवादी संख्या 04 इकबाल खान पठान पिता मोहम्मद खान पठान निवासी तेजाजी का चौक भीलवाडा को कर दिया है और उसके पक्ष में विकय पत्र का पंजीयन करा दिया है जो धारा 52 सम्पति हस्तान्तरण अधिनियम के तहत प्रारम्भ से ही शून्य है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 04 के पक्ष में आराजी नम्बर 2328 रकबा 08 बीघा 01 बिस्वा का जो विकयपत्र दिनांक 11.11.2010 को निष्पादित व पंजीकृत कराया है वह विकयपत्र वादीगण के मुकाबले शून्य व बेअसर होने से उसे शून्य घोषित कराये जाने और उस विकयपत्र के आधार पर जो नामान्तकरण इकबाल खान के पक्ष में खोला गया है वह भी वादीगण के मुकाबले प्रारम्भ से ही शून्य व बेअसर होने से उसे निरस्त कराये जाने हेतु ही यह वादपत्र प्रस्तुत किया है जिसकी सुनवाई का अधिकार माननीय राजस्व न्यायालय को ही होने से प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्तनीय है। प्रतिवादी संख्या 04 द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 के किसी भी प्रावधान के अन्तर्गत पोषणीय नहीं होने से निरस्तनीय है।

अतः प्रार्थना है कि प्रतिवादी संख्या 04 द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र सरासर असत्य एवं आधारहीन होने से सव्यय निरस्त कराया जावें।

प्रतिवादी संख्या 04 के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 का जवाब प्रतिवादी संख्या 01/1 से लगायत 04 के अधिवक्ता एवं प्रतिवादी संख्या 03 की और से पैराकार सरकार ने जवाब प्रस्तुत नहीं किया। उभयपक्ष अधिवक्ता की इस प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई।

प्रतिवादी संख्या 04 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थनापत्र में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुये बताया कि विकयपत्र निरस्तीकरण के लिये वाद की सुनवाई की क्षैत्राधिकारिता एवं श्रवणाधिकारिता केवल मात्र सिविल न्यायालय को ही है, इस कारण उक्त वादपत्र न्यायालय आप के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का नहीं होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है। चूंकि राजस्व न्यायालय के क्षैत्राधिकार का नहीं है एवं निरस्तीकरण, शुन्य, अवैध घोषित कराने का अधिकार केवल सिविल न्यायालय को होने से उक्त वादपत्र खारिज कराया जावें। प्रार्थना पत्र के समर्थन में विधिक दृष्टान्त पेश किये जो कमश :– **2018 RBJ 9, 2018 RBJ 78** है

वादीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रतिवादी संख्या 04 प्रार्थना पत्र के जवाब में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये प्रतिवादी संख्या 01 ने प्रतिवादी संख्या 04 के पक्ष में आराजी नम्बर 2328 रकबा 08 बीघा 01 बिस्वा का जो विकयपत्र दिनांक 11.11.2010 को निष्पादित व पंजीकृत कराया है वह विकयपत्र वादीगण के मुकाबले शून्य व बेअसर होने से उसे शून्य घोषित कराये जाने और उस विकयपत्र के आधार पर जो नामान्तकरण इकबाल खान के पक्ष में खोला गया है वह भी वादीगण के मुकाबले प्रारम्भ से ही शून्य व बेअसर होने से उसे निरस्त कराये जाने हेतु ही यह वादपत्र प्रस्तुत किया है जिसकी सुनवाई का अधिकार माननीय राजस्व न्यायालय को ही होने से प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्तनीय है। प्रतिवादी संख्या 04 द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 के किसी भी प्रावधान के अन्तर्गत पोषणीय नहीं होने से खारिज कराया जावें। प्रार्थना पत्र के खण्डन में विधिक दृष्टान्त पेश किये जो कमशः – **2002 (2) WLC RAJ P-333, 2020 (2) Civil Times SC P - 419, 2023 (1) CT Civil RAJ P - 363, 2019 SAR Civil P -1150, 2021 (2) RLW RAJ P - 1219,** है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रतिवादी संख्या 04 के प्रार्थना पत्र एवं इस प्रार्थना पत्र के वादीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब का अध्ययन किया गया। वादीगण के वादपत्र एवं प्रतिवादी के जवाब का अध्ययन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का भलीभांति परीक्षण किया गया उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। वादीगण के वादपत्र के तथ्य इस प्रकार है :–

ग्राम हलेड के साबिक आराजी नम्बर 1690/2 रकबा 08 बीघा 01 बिस्वा भूमि जमाबन्दी संवत 2009 से 2012 में नन्दा आत्मज हजारी जाट निवासी हलेड के नाम पर दर्ज रेकार्ड थी। नन्दा के देहान्त के पश्चात् विरासत से दिनांक 13.02.1954 को गणेश आत्मज नन्दा जाट के नाम पर दर्ज हुई आराजी नम्बर 1690/2 रकबा 08 बीघा 01 बिस्वा भूमि में से 06 बीघा 05 बिस्वा भूमि गणेश पिता नन्दा जाट ने श्री हजारी पिता सूरजमल जाट निवासी हलेड को पंजीकृत विक्रय पत्र से विक्रय कर दी, शेष 01 बीघा 16 बिस्वा भूमि गणेश पिता नन्दा जाट के कब्जें काश्त में रही। लेकिन विक्रयपत्र दिनांक 13.02. 1954 के आधार पर नामान्तकरण संख्या 13 से आराजी नम्बर 1690/2 रकबा 08 बीघा 01 बिस्वा भूमि में से 06 बीघा 05 बिस्वा भूमि विक्रयशुदा के बजाय 08 बीघा 01 बिस्वा भूमि सम्पूर्ण का राजस्व रेकार्ड में हजारी पिता सूरजमल जाट के नाम ईन्द्राज कर दिया गया।

गणेश आत्मज नन्दा जाट निवासी हलेड ने अपनी आराजी नम्बर 1690/2 रकबा 08 बीघा 01 बिस्वा में 06 बीघा 05 बिस्वा भूमि हजारी पिता सूरजमल जाट को बेचाने के बाद 01 बीघा 16 बिस्वा भूमि उसके अधिकार आधिपत्य में रही उसे वादीगण के पिता श्री भीमा पिता जोधा जाट निवासी हलेड को दिनांक 25.09.1974 को 95 /– रूपये में बेच कर विक्रयपत्र वादीगण के पिताजी के पक्ष में निष्पादित कर दिया गया। इस भूमि पर भीमा के देहान्त के पश्चात् वादीगण का कब्जाही चला आ रहा है किन्तु हजारी पिता सूरजमल जाट ने 06 बीघा 05 बिस्वा भूमि क्रय करने के बाद उसने 08 बीघा 01 बिस्वा भूमि नामान्तकरण संख्या 13 से अपने नाम दर्ज करवा ली इस प्रकार आराजी नम्बर 1690/2 में 01 बीघा 16 बिस्वा भूमि गणेश द्वारा विक्रय नहीं की गई थी। जिससे प्रतिवादी संख्या 04 के खाते से कम कराई जाकर वादीगण के नाम पर दर्ज कराने हेतु वादपत्र घोषणात्मक डिक्री व ईन्द्राज दुरूस्ती का वादपत्र दिनांक 08.06.2009 को प्रस्तुत किया गया जिसके वाद प्रकरण संख्या 125/2009 है व स्थगन प्रार्थना पत्र के प्रकरण संख्या 186/2009 है।

स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 186/2009 में न्यायालय आप से दिनांक 26.04.2010 को प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 में अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध विपक्षीगण के इस आशय की जारी की गई है कि ग्राम हलेड के आराजी नम्बर 2328 रकबा 08 बीघा 01 बिस्वा भूमि की विपक्षीगण राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावें। इस निर्णय दिनांक 26.04.2010 की अपील न्यायालय भूप्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा के यहॉ प्रस्तुत होकर अपील प्रकरण संख्या 81/2012 निर्णय दिनांक 02.04.2013 में आदेश पारित किये गये है कि " अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.04.10 में 08 बीघा 01 बिस्वा भूमि के बजाय क्षैत्रफल 01 बीघा 16 बिस्वा भूमि की सीमा तक ही अपीलार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद जारी रहने के आदेश दिये जाते है।"

ग्राम हलेड के आराजी नम्बर 2328 रकबा 08 बीघा 01 बिस्वा भूमि को स्थगनआदेश दिनांक 26.04.2010 जारी होने के पश्चात् भी नारायण मुतबन्ना हजारी जाट ने ग्राम हलेड के आराजी नम्बर 2328 रकबा08 बीघा 01 बिस्वा भूमि को प्रतिवादी संख्या 04 इकबाल आत्मज मोहम्मद खान पठान निवासी तैजाजी का चौक भीलवाडा को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर दी इस रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण संख्या 2073 दिनांक 24.11.2010 तहसीलदार भीलवाडा ने स्वीकृत कर दिया। इस नामान्तकरण की अपील वादीगण ने न्यायालय जिला कलक्टर महोदय भीलवाडा के यहॉ प्रस्तुत की गई जिसके प्रकरण संख्या 524/2012 निर्णय दिनांक 04.10.2012 से अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 2073 निर्णय दिनांक 24.11.2010 आदेश तहसीलदार भीलवाडा को निरस्त कर दिया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर भीलवाडा के प्रकरण संख्या 524/2012 निर्णय दिनांक 04.10.2012 की अपील न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त अजमेर के यहॉ प्रतिवादी संख्या 04 ने प्रस्तुत की जिसके प्रकरण संख्या 01/2013 दिनांक 22.09.2016 से निर्णित होकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाडा द्वारा नामान्तकरण को निरस्त किये जाने का आदेश नियमों एवं सम्बन्धित अभिलेखों के आलोक में विधि सम्मत् होने से अपील खारिज की गई। इस प्रकार जिला कलक्टर भीलवाडा का निर्णय दिनांक 04.10.2012 का यथावत रहा है जिसमें ग्राम हलेड के नामान्तकरण संख्या 2073 निर्णय दिनांक 24.11.2010 जो प्रतिवादी संख्या 04 के नाम स्वीकृत किया गया है जिसे खारिज किया गया। अति0 सम्भागीय आयुक्त अजमेर के प्रकरण संख्या 01/2013 निर्णय दिनांक 22.09.2016 की अपील प्रतिवादी संख्या 04 द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत की जानी बताया है। वादीगण ने न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निगरानी प्रकरण संख्या 7203/2016 जिला भीलवाडा उनवान प्रकरण इकबाल खान पुत्र मो0 खान पठान निवासी तेजाजी चौक भीलवाडा बनाम मथुरा, अम्बालाल पुत्र भीमा, नारायण दत्तक पुत्र हजांरी जाट निवासी हलेड व राजस्थान राज्य के विरूद्ध प्रस्तुत की गई जिसमें सुनवाई दिनांक 09.01.2025 नियत होने सम्बन्धित आदेशिका की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है। इस प्रकार ग्राम हलेड के आराजी नम्बर 2328 रकबा 08–01 बीघा भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी जैरकार है।

वादीगण ने वादपत्र दो रूपये के स्टाम्प पर 95 /– रूपये प्रतिफल में विक्रेता गणेश वल्द नन्दा जाट द्वारा भीमा वल्द जोधा जाट निवासी हलेड क्रेता के पक्ष में किये बैचाननामा दिनांक 25.09.1974 अनरजिस्टर्ड के आधार पर वादपत्र प्रस्तुत किया है। अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर वादीगण के पक्ष में घोषणात्मक स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी करने की प्रार्थना की गई है। इस वादपत्र के विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 04 ने प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 प्रस्तुत किया गया। इस प्रार्थना पत्र पर जवाब प्राप्त कर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

वादीगण द्वारा ग्राम हलेड के आराजी नम्बर 2328 रकबा 08–01 बीघा भूमि के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89–188, 92(क) आर0टी0ए0 का प्रस्तुत किया इस प्रकरण के सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 04 ने प्रार्थना पत्र O-7-R-11 जा0दी0 का पेश किया। वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी संख्या 7203/2016 लम्बित रहने से प्रार्थना पत्र O-7-R-11 जा0दी0 पर निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित नहीं है। वादीगण ने अनरजिस्टर्ड दस्तावेज दिनांक 25.09.1974 के आधार पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89–188, 92(क) आर0टी0ए0 का दिनांक 08.06.2009 को प्रस्तुत किया है जो विधि सम्मत् प्रतीत नहीं होता है।

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में पक्षकारान के मध्य जैरकार निगरानी संख्या 7203/2016 में जो भी निर्णय पारित होगा उसकी पालना उभयपक्ष द्वारा की जावेगी। अतः वादीगण के वादपत्र संख्या 125/2009 में की जाने वाली कार्यवाही समाप्त की जाती है। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 13-01-25 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा

वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः– दिव्यराज सिंह चुण्डावत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
125/2009 वादपत्र	11.06.2009	13-01-25

उनवान

1. मथुरालाल पिता भीमा जी जाट निवासी हलेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा
2. अम्बालाल पिता भीमा जी जाट निवासी हलेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा

–– वादीगण

बनाम

1. नारायण मुतबन्ना हजारी जाट उम्र वयस्क निवासी हलेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा मृतक के कायम मुकाम :–
   1/1– श्रीमती जड़ाई पत्नी नारायण जाट निवासी हलेड़ भीलवाड़ा
   1/2– रामलाल पिता नारायण जाट निवासी हलेड़ भीलवाड़ा
   1/3– गीता पुत्री नारायण जाट निवासी हलेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा
   1/4– लाड़ पुत्री नारायण जाट निवासी हलेड़, तहसील व जिला भीलवाड़ा
2. उपपंजीयक, भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा
4. इकबाल खान पठान पिता मोहम्मद खान पठान उम्र वयस्क निवासी तेजाजी का चौक भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा

–– प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89, 188–92(क) आरटीए में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0

उपस्थित :–

1–अधिवक्ता वादीगण श्री भैरूलाल बापना उपस्थित।

2–अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01/1 से लगायत 1/4 की और से शम्भुदास वैष्णव उपस्थित।

3–प्रतिवादी संख्या 03 की और से पैराकार सरकार उपस्थित।

4–अधिवक्ता प्रति0 संख्या 04 की और से श्री श्यामलाल गुर्जर उपस्थित।

वादीगण की और से अधिवक्ता श्री भैरूलाल बापना उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या 01/1 से लगायत 1/4 की और से श्री शम्भुदास वैष्णव उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 03 की और से पैरोकार सरकार उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 04 की और से श्री श्यामलाल गुर्जर उपस्थित। प्रकरण में – इस वाद में तारीख 13-01-25 पीठासीन अधिकारी दिव्यराज सिंह चुण्डावत, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया गया है, जिसकी अन्तिम डिक्री दी जाती है :–

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वादीगण द्वारा ग्राम हलेड के आराजी नम्बर 2328 रकबा 08–01 बीघा भूमि के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89–188, 92(क) के सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 04 ने प्रार्थना पत्र O-7-R-11 जा0दी0 का पेश किया। वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी संख्या 7203/2016 जा0दी0 पर निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित नहीं है। वादीगण ने अनरजिस्टर्ड दस्तावेज दिनांक 25.09.1974 के आधार पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 25.09.1974 के आधार पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89–188, 92(क) आर0टी0ए0 का दिनांक 08.06.2009 को प्रस्तुत किया है जो विधि सम्मत् प्रतीत नहीं होता है।

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में पक्षकारान के मध्य जैरकार निगरानी संख्या 7203/2016 में जो भी निर्णय पारित होगा उसकी पालना उभयपक्ष द्वारा की जावेगी। अतः वादीगण के वादपत्र संख्या 125/2009 में की जाने वाली कार्यवाही समाप्त की जाती है।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा